उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-3
संख्या: 31/2025/193/23-3-2025-1851312
लखनऊ, दिनांक: 06 फरवरी, 2025

कार्यालय-आदेश

मुख्य अभियंता, आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ का कार्य देख रहे श्री योगेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता दिनांक: 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। आजमगढ़ मण्डल में अधीक्षण अभियंता, बलिया वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बलिया के पद पर तैनात श्री राम स्वरूप की दिनांक: 01.02.2025 को मुख्य अभियंता स्तर-2 के पद पर प्रोन्नति हो गयी है।

2- मुख्य अभियंता, आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के पद का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने हेतु तात्कालिक प्रभाव से श्री राम स्वरूप, नवप्रोन्नत मुख्य अभियंता स्तर-2, सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जो वर्तमान में वहीं तैनात हैं, को अस्थायी व्यवस्था के तहत अगले आदेशों तक के लिये मुख्य अभियंता, आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के पद का प्रभार एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है।

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव,प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबंध निदशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।